रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042025-262663
CG-DL-E-24042025-262663

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1825] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 24, 2025/वैशाख 4, 1947
No. 1825] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 24, 2025/VAISAKHA 4, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2025

सं. 30/2025-सीमा शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 1858(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 54 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 157 तथा धारा 158 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड आयातित माल (पोतांतरण की शर्तें) विनियम, 1995 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन विनियमों को आयातित माल (पोतांतरण की शर्तें) विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. आयातित माल (पोतांतरण की शर्तें) विनियम, 1995 में, विनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत -

"5. शुल्क का भुगतान - सभी सीमा शुल्क स्टेशनों के लिए आयातित माल के पोतांतरण के लिए आवेदनों के संबंध में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।"

[फा. सं. 450/91/2024- सीमा शुल्क IV]

धनंजय सिंह, अवर सचिव

नोट: नोट: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में 28 सितम्बर, 1995 की अधिसूचना संख्या 61/1995 (गै.टे.) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2025

No. 30/2025-Customs (N.T.)

S.O. 1858(E).— In exercise of the powers conferred by section 157, read with sub-section (3) of section 54 and section 158 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations, further to amend the Goods Imported (Conditions of Transshipment) Regulations, 1995, namely:-

1. **Short title and commencement** – (1) These regulations may be called the Goods Imported (Conditions of Transshipment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Goods Imported (Conditions of Transshipment) Regulations, 1995, for regulation 5, the following regulation shall be substituted namely –

“5. Payment of fees – No fees shall be charged in respect of applications for transshipment of the goods imported for all customs stations.”

[F. No. 450/91/2024- Cus.-IV]

DHANANJAY SINGH, Under Secy.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) vide Notification no. 61/1995 (N.T.) dated the 28th September, 1995.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA